



राजस्थान-सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांक:-नि.सं.शि/शैक्ष-1/पं.33पार्ट-III/2015/43045-74

दिनांक:- 15.12.15

समस्त प्राचार्य
राजकीय आचार्य/शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय:- NAAC से मान्यता प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक शैक्ष-1/पं.33पार्ट-III/2014/36348-370 दिनांक
08.10.2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपको अवगत कराया जाता है कि NAAC से मान्यता प्राप्त करना वर्तमान में महाविद्यालयों की गुणवत्ता एवं शैक्षणिक उन्नयन के लिए आवश्यक है। NAAC प्रमाण-पत्र महाविद्यालय के गहन निरीक्षण एवं शैक्षणिक सुविधाओं के आधार पर प्रदान किया जाता है।

इस क्रम में लेख है कि आप द्वारा अब तक अपने महाविद्यालयों को NAAC से मान्यता दिलाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं। इसी क्रम में विभाग द्वारा आपको पूर्व में भी बार बार निर्देशित किया जा चुका है।

NAAC मान्यता हेतु की जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में NAAC की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर इस दिशा में तत्काल कार्यवाही करें। साथ ही उक्त मान्यता के क्रम में वर्तमान स्थिति से विभाग को दूरभाष अथवा फ़ैक्स द्वारा तत्काल अवगत करायें। यह भी सुनिश्चित करें कि NAAC मान्यता हेतु आप अपने संस्था का LOI, NAAC कार्यालय में आवश्यक रूप से भिजवाये तथा NAAC कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क करें एवं इसकी एक प्रति विभाग को भी भिजवाये।

यदि आपके महाविद्यालय का NAAC निरीक्षण प्रस्तावित है, तो उसके सम्बन्ध में भी विभाग को अवगत करायें साथ ही जिन महाविद्यालयों द्वारा NAAC से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया है वे 31.12.2015 तक आवश्यक रूप से आवेदन करना सुनिश्चित करें तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता प्रगति से अवगत करायें।

(लक्ष्मीनारायण आसोपा)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर